

112
25

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी एच।
वकील जर्जी की शकपदीय कदम
रुनी गई। इस ज्यादातम द्वारा
दिनांक 18.8.2020 को जारी की
आदेशिका को मूत बाद के निस्तारण
तक बन्दगी किया जाता है।
पत्रावली फौजदारी मुकदमा
नम्बर के अन्तर्गत मूत बाद
के साथ संलग्न है।

सहायक कलेक्टर

बड़ीसादड़ी

